(21)

II/निग०/रीवा/2018/0997

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा मप्र0

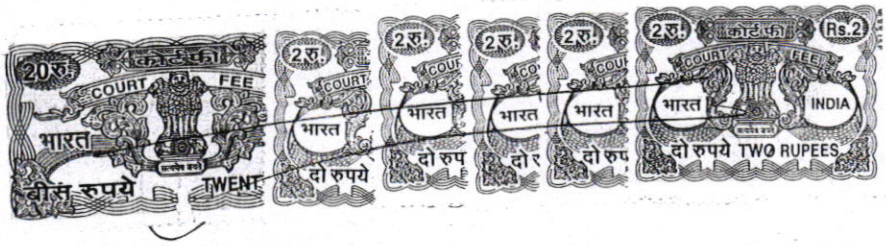

Rs 30/-

1-संतोष कुमार मिश्रा तनय स्व0 श्री रामनिवास मिश्रा उम्र 51 वर्ष पेशा खेती

2-कमलेश कुमार मिश्रा तनय स्व0 श्री रामनिवास मिश्रा उम्र-45 वर्ष पेशा खेती

3-रमेश कुमार मिश्रा तनय स्व0 श्री रामनिवास मिश्रा उम्र-36 वर्ष पेशा खेती

4-रविकुमार तनय उपेन्द्र कुमार मिश्रा उम्र-8 वर्ष नावालिक़ जरिए वली पिता उपेन्द्र कुमार मिश्रा

(सभी निवासी ग्राम व पोस्ट बधरा तह0 व थाना सेमरिया जिला रीवामप्र0)

---निगरानीकर्तागण/आवेदक

अधि० श्री अशोक सिंह द्वारा पेश 08-2-18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र०

बनाम

अरविन्द कुमार मिश्रा तनय स्व0 श्री रामनिवास मिश्रा उम्र-54 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम व पोस्ट बधरा तह0 व थाना सेमरिया जिला रीवामप्र0

---अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर द्वारा आराजी नम्बरी 1101 के अंश भाग के नक्शा तरमीम किए जाने संबबंधी कार्यवाही व आदेश दिनांक 10.1.2017 के

विरुद्ध निगरानी याचिका

अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है -

1- निगरानीकर्तागण व गैर निगरानीकर्ता सगे भाई है । ग्राम बधरा जनरल नम्बर 339 पटवारी हल्का बधरा राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा स्थित भूमि खसरा कमांक 1101 में सभी भाइयों को पृथक-पृथक रकवा हिस्से में प्राप्त हुआ है जिस तरह से पृथक पृथक रकवे पक्षकारों को प्राप्त हुए है और मौके

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/997

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा व्दारा भूमि सर्वे क्रमांक 1101 का नक्शा तरमीम वावत् दिये गये आदेश दिनॉक 10–1–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि विचारण न्यायालय में मूल मामला नक्शा तरमीम पर आधारित है। नक्शा तरमीम कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी को दी गई शक्तियों के अधीन की जाती है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित आदेश राजस्व मण्डल में निगरानी योग्य न होकर प्रथम अपील उप खण्ड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। विचाराधीन निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	